रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276181
CG-DL-E-15092026-276181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
No. 49] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.नि.आ. 49(अ).—केंद्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धाराओं 36, 36 क और 36 ख के साथ पठित धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारुप नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जो इससे प्रभावित होने की संभावना रखते हैं तथा इस आशय की सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जब इस अधिसूचना की प्रतियां राजपत्र में प्रकाशित होकर जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रारुप नियमों के संबंध में, यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों, तो वे निदेशक (भूमि), रक्षा मंत्रालय, कमरा संख्या 25073, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

रक्षा संकर्म (शास्तियों का न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **रक्षा संकर्म (शास्तियों का न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 है।**

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, ...

   (क) "अधिनियम" से रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) अभिप्रेत है;

   (ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 36क की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कमान आफिसर अभिप्रेत है;

   (ग) "अपीलार्थी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है और अधिनियम की धारा 36ख की उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करता है;

   (घ) "अपील प्राधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 36ख की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ या समकक्ष या संगठन के प्रमुख से है;

   (ङ) "प्ररुप" से तात्पर्य इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप से है;

   (2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. **शिकायत:-** कोई भी व्यक्ति, जिसमें एक प्राधिकृत अधिकारी भी शामिल है, अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या परिदान के पंजीकरण प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर पर प्ररुप-क में न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

4. **जाँच करना:-** (1) अधिनियम की धारा 36क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से कि क्या किसी व्यक्ति ने धारा में यथा-विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररुप-ख में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि (जो उसकी तामील की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी) के भीतर यह बताने को कहा जाएगा कि उसके खिलाफ जाँच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

   (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में अभिकथित उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

   (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से नोटिस में नियत तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

   (4) निर्धारित तारीख को, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसके द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उस उपबंध के बारे में समझाएगा, जिसके अधीन अभिकथित उल्लंघन का आरोप है।

   (5) इसके बाद, न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररुप-ग के अधीन ऐसे दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक मानता है और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को अगली तारीख तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसा साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

   (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज़ पेश करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है और उसे बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।

(7) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी इसके कारणों को लेखबद्ध करने के बाद उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच आगे बढ़ा सकता है।

(8) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसी शास्ति लगा सकता है, जैसा वह युक्तियुक्त समझे।

(9) उप-नियम (8) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध का उल्लेख किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और शास्ति लगाने के कारण भी शामिल होंगे।

(10) उप-नियम (8) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(11) इस नियम के अधीन पारित आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां परिवादी और उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, निःशुल्क प्रदान की जाएंगी और आदेश की एक प्रति स्थानीय सैन्य प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

(12) न्यायनिर्णायक अधिकारी विपक्षी दल को नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

(13) इन नियमों के अधीन निर्गत किया गया कोई नोटिस या आदेश उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या देकर; या

(ii) उसे उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर, जहाँ वह व्यवसाय करता है या अंतिम बार करता था या दस्ती तौर पर लाभ के लिए काम करता है या अंतिम बार काम करता था; या

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार वहां निवास किया था या व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से काम करता है या लाभ के लिए काम किया है।

5. अपील- (1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 36ख के अधीन प्ररुप-घ में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की जाएगी:

परंतु, यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

(3) अपील के साथ नियम 5 के उप-नियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति और अपील किए गए तथ्यों, अपील के आधार और अधिनियम की प्रासंगिक धारा का स्पष्ट विवरण संलग्न होगा।

(4) अपीलार्थी द्वारा स्वयं या उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या इस निमित्त विधिवत नियुक्त अधिवक्ता द्वारा अथवा परिदान के पंजीकरण प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपील लिखित रूप में तीन प्रतियों में दाखिल की जाएगी।

(5) परिदान के पंजीकरण प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई अपील, प्राप्त होने के दिन अपील प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की गई मानी जाएगी।

(6) यदि संवीक्षा के बाद अपील सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संबंधित पक्ष को नोटिस देने के बाद उसे सुधार के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर या मंजूर किए गए विस्तारित समय के भीतर कमी को दूर नहीं किया

जाता है, तो अपील प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अपील को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।

(7) अपील प्राधिकारी द्वारा अपील की एक प्रति प्रत्यर्थी को दस्ती तौर पर या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराई जाएगी।

(8) प्रत्यर्थी, अपील के नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर, अपील प्राधिकारी को उत्तर दाखिल कर सकता है।

(9) अपील प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।

(10) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह युक्तियुक्त समझे।

(11) अपील प्राधिकारी अपील स्वीकार होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

[फा.सं. 170/एस औ (।।)/रक्षा (भूमि)/2025]

प्रीति मीना, संयुक्त सचिव

प्ररुप-क

[नियम 3 देखें]

सेवा में,

कमान आफिसर

____

विषयः रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 36 की उप-धारा (1) के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि __________________ में __________________ के परिसर में प्लॉट सं. __________________ में रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा __________________ के अधीन उल्लंघन किया गया है। (सूचना/प्रतिवेदन (यदि कोई हो) की प्रति संलग्न है)।

2. उपरोक्त उल्लंघन रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन शास्तियोग्य है। अतः रक्षा संकर्म अधिनियम (शास्तियों का न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 36क के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में इस उल्लंघन के न्यायनिर्णयन हेतु उचित कार्रवाई करें।

कमान आफिसर

परिवादी/प्राधिकृत अधिकारी

तारीख:

स्थानः

प्ररुप-ख

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]

सेवा में,

____

____

____

कारण बताओ नोटिस

विषयः रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 36 की उप-धारा (1) के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

तारीख __________________ के प्ररुप-क में प्राप्त शिकायत (प्रति संलग्न) के अनुसार आपके __________________ स्थित परिसर में प्लाट सं. __________________ में रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा __________________ के अधीन उल्लंघन किया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन शास्तियोग्य है। अतः आपको इस नोटिस की तामील होने के बाद __________________ दिनों के भीतर कारण बताना होगा कि आपके विरूद्ध रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 36 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु जांच क्यों न शुरू की जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो इस अधिनियम के अधीन आगे कार्रवाई की जाएगी।

कमान आफिसर एवं

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्ररुप-ग

उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना

[नियम 4 का उप-नियम (5) देखें]

सेवा में,

कमान आफिसर

____

____

____

1.	मैं/हम, ____________________ ____________________ ____________________ प्ररुप-क में की गई शिकायत के संबंध में अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करता हूं/ करते हैं। प्रतिवाद प्रस्तुत करने के आधार निम्नानुसार हैं:- ____________________ ____________________	
2.	मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ-साथ डाक सूचकांक संख्या/कोड और राज्य सहित पूरा पता।	
3.	उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर;	
4.	हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर	

प्ररुप-घ

(नियम 5 का उप-नियम (1) देखें**)**

रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 36ख के अधीन अपील

1. अपीलार्थी का विवरण

(क) नामः

(ख) पिता/संगठन का नामः

(ग) पताः

(घ) संपर्क विवरण (फोन/ई-मेल):

2. अपील किए गए आदेश का विवरण

(क) आदेश संख्या और तारीख :

(ख) न्यायनिर्णायक अधिकारी का नाम और पदनामः

(ग) आदेश प्राप्ति की तारीखः

(घ) अधिरोपित शास्ति की राशिः

3. अपील प्राधिकारी

(धारा 36ख के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जो कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ या समकक्ष रैंक से कम का न हो)

4. सीमाबंधन

(क) क्या अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल की गई हैः हां/नहीं

(ख) यदि 30 दिनों के बाद दाखिल की गई है, तो विलंब के कारण बताएं और सहायक दस्तावेज संलग्न करें:

5. तथ्यों का विवरण

(अपील किए गए आदेश से संबंधित तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करें)

6. अपील के आधार

(अपीलार्थी को आदेश के संबंध में आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित करने होंगे)

1.

2.

3.

7. प्रार्थित राहत

(मांगी हुई राहत का उल्लेख करें, जैसे कि-)

☐ आदेश को अपास्त करना

☐ शास्ति का उपांतरण

☐ पुनर्विचार के लिए वापस भेजना

☐ कोई अन्य राहत (विनिर्दिष्ट करें):

8. शास्ति के भुगतान की स्थिति

(क) क्या शास्ति का भुगतान कर दिया गया हैः हां/नहीं

(ख) यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो उसके कारणः

9. संलग्नकों की सूची

1. विवादित आदेश की प्रति
2. आदेश प्राप्ति की तारीख का प्रमाण
3. सहायक दस्तावेज/साक्ष्य
4. विलंब (यदि कोई हो) की माफी हेतु आवेदन
5. कोई अन्य दस्तावेज

10. सत्यापन

मैं, ________________ , उपर्युक्त नामनिर्दिष्ट अपीलार्थी, घोषणा करता/करती हूं कि इस अपील की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

अपीलार्थी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नामः ________________

पदनामः ________________

स्थानः

तारीखः

फा. सं. ________________

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.R.O. 49(E).—The following draft rules, which the Central Government proposed to make, in exercise of the powers conferred by section 44 read with sections 36, 36A and 36B of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), is hereby published as required by sub-section (2) of section 44 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is given that the said draft rules shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification is published in the Official Gazette, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director(Lands), Ministry of Defence, Room No. 25073, Kartavya Bhawan-2, New Delhi-110011.

Draft Rules

THE WORKS OF DEFENCE (ADJUDICATION OF PENALTIES AND APPEAL) RULES, 2026

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the **Works of Defence (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026**.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, ---

   (a) "Act" means the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903);

   (b) "adjudicating officer" means the Commanding Officer appointed under sub-section (1) of section 36A of the Act;

   (c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 36B of the Act;

   (d) "appellate authority" means a General Officer Commanding-in-Chief or equivalent or head of the organisation appointed under sub-section (1) of section 36B of the Act;

   (e) "Form" means a form appended to the these rules;

   (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Complaint.-** Any person including an authorised officer may file a complaint in Form-A through electronic means or speed post with registration proof of delivery or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sub-section (1) of section 36 of the Act.

4. **Holding of Inquiry.-**(1) For the purpose of adjudication under sub-section (1) of section 36A of the Act whether any person has committed any contravention as specified in the section, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form-B to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days form the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

   (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

   (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.

   (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention, committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

   (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-C as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the BhartiyaSakshyaAdhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under sub-section (1) of section 36 of the Act as he considers reasonable.

(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be provided free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held and a copy of the order shall be forwarded to them Local Military Authority.

(12) The adjudicating officer shall complete the proceeding within a period ofthirty days from the issuance of the notice to the opposite party.

(13) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely:-

(i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

5. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority under section 36B of the Act in Form-D.

(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of thirty days form the date of the order:

Provided that, the appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (8) of the rule 5 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing or by an advocate duly appointed in this behalf, or by speed post with registration proof of delivery or through electronic means.

(5) The appeal sent by speed post with registration proof of delivery shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within twenty one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to admit the appeal.

(7) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(8) Respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.

(9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.

(10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(11) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.

[F.No. 170/SO(II)/D(Lands)/2025]

PREETIMEENA, Joint Secretary

Form –A

[See rule 3]

To

Commanding Officer

____

Subject: In contravention of the Sub-section (1) of section 36 of the Works of Defence Act, 1903.

Sir/Madam,

It has come to the knowledge of the undersigned that contravention has been committed under section -------------------------------- of the Works of Defence Act, 1903 in Plot No. -------------------------------- in the premises of -- at -------------------------------------- (copy of the information/ report, (if any) is attached).

2. The above contravention is liable for penalty under the Works of Defence Act, 1903. Therefore, as per the Works of Defence (Adjudicating of Penalties and Appeal) Rules, 2026, you are requested to take appropriate action as adjudicating officer as per section 36A of the Works of Defence Act, 1903 for adjudication of the contravention.

Commanding Officer

Complainant/Authorised Officer

Dated:

Place:

Form –B

[See sub-rule (1) of rule 4]

To

SHOW CAUSE NOTICE

Subject: In contravention of the Sub-Section (1) of Section 36 of the Works of Defence Act, 1903.

Sir/Madam,

As per the complaint received in Form-A dated ___________________ (copy enclosed), contravention has been committed under section ------------------- of the Works of Defence Act, 1903 in Plot No.------------------------------------ in your premises at ____.

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ----------- days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 36 of the Works of Defence Act, 1903 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.

Commanding Officer &

Adjudicating Officer

<table>
<tr><td colspan="3" align="center">Form –C
Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener
[See sub-rule (5) of rule 4]</td></tr>
<tr><td colspan="3">To
Commanding Officer
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">I/We, ……………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
hereby give a counter statement to the complaint made in Form-A
The grounds in which the counter statement is made are as follow: -
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Signature of the contravener or his authorised representative:</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Name of the person along with mobile number who has signed</td><td></td></tr>
</table>

Form-D

(See sub-rule (1) of rule 5)

APPEAL UNDER SECTION 36B OF THE WORKS OF DEFENCE ACT, 1903

---

1. Particulars of the Appellant

(a) Name:

(b) Father's/Organisation Name:

(c) Address:

(d) Contact Details (Phone/Email):

2. Details of the Order Appealed Against

(a) Order Number and Date:

(b) Name and Designation of Adjudicating Officer:

(c) Date of receipt of order:

(d) Amount of penalty imposed:

3. Appellate Authority

(To be addressed to the Appellate Authority appointed under section 36B, not below the rank of General Officer Commanding-in-Chief the Command, or equivalent)

4. Limitation

(a) Whether appeal is filed within 30 days: YES / NO

(b) If filed after 30 days, state reasons for delay and attach supporting documents:

---

5. Statement of Facts

(Briefly state the facts leading to the order appealed against)

---

6. Grounds of Appeal

(The appellant shall clearly specify grounds of objection to the order)

1.

2.

3.

7. Relief Sought

(Indicate the relief claimed, such as-)

- ☐ Setting aside the order
- ☐ Modification of penalty
- ☐ Remand for reconsideration
- ☐ Any other relief (specify):

8. Payment Status of Penalty

(a) Whether penalty has been paid: YES / NO

(b) If not paid, reasons thereof:

9. List of Enclosures

1. Copy of impugned order
2. Proof of date of receipt of order
3. Supporting documents/evidence
4. Application for condonation of delay (if any)
5. Any other document

10. Verification

I, _______________, the appellant above named, do hereby declare that the contents of this appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief.

____

Signature of Appellant / Authorised Representative

Name:……..…………..……………….

Designation: …………………………………

Place: _________________

Date : _________________

F.No.…………………………………………

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.15 12:54:48 +05'30'